

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुं नं० 65/14 तारीख रजु 9.9.14

उनकास - प्रेम बनाम जगदीश कर्गे जोगी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निवेद्याज्ञा

वादीया प्रेम स्वयं उपस्थित होकर दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निवेद्याज्ञा पेश किया गया।

शापथ पत्र व अन्य दस्तावेज मिलान शेगफल जमांकी के अख्तोकार किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रिवादीजगो को सम्मन के जरिये तलब कर पत्रावली दिनांक 29.9.14 को पेश हो।

2163-76  
9-9-14

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

28/9  
14

वादी की ओरसे श्री सुरेश चंद्रशर्मा Adv. ने ककालत नामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 4, 5 की ओरसे श्री बलवीर सिंह चौहान Adv. ने ककालत नामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 2, 6 ता. 12 की ओरसे श्री रामावतार शर्मा Adv. ने उपस्थिति दर्ज कराकर आगामी सुनवाई तिथी पर ककालत नामा पेश करने का कपन किया। प्रतिवादी नम्बर 13, 14 बलजुड सूनना उपस्थित नहीं है। 10 लाख कानून व्यवस्था में उपस्त है। आर्डिन दिनांक 30.10.14 को पेश हो।

प्रतिवादी नं. 2 व 6 ता. 12 की ओरसे केशव कर्गे के निपुण अधिवक्ता

30/10  
14

वकूलाय उप। प्रतिवादी नं. 1, 3, 4, 5 के वकील की ओरसे श्री राजमोहन शर्मा Adv. उपर डर। प्रतिवादी नं. 13, 14 की ओरसे बलजुड सूनना को उपस्थित नहीं है।

# आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकूलाय उप०। वादी वकील को कायम मुकामान के नोटिस  
तालवाना पेश कोने के निर्देश दिये गये। बाह्य तलबी कायम  
मुकामान दिनांक 30.10.19 को पेश हो।




30.10.19

वकूलाय उप०। गतानुसार कायम मुकामान की तालबी कोने  
दिनांक 26.11.19 को पेश हो।




26-11-19

वकूलाय उप०। गतानुसार दिनांक  
18.12.19 को पेश हो।



18.12.19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित  
नहीं हैं। प्रतिवादी वकील उपस्थित। कई बार क्लक  
क्लक का आवाज दिलवाई गई। फिर भी वादी  
वकील एवं वादी उपस्थित नहीं हैं। अतः यह दावा  
अदम हरजिरी एवं अदम पैरवी में स्थायित किया जाता  
है। पत्रावली फ़ैल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर  
दाखिल दफ्तर हो।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

